न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:–रमेश देव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा – 91 / 2022 निर्णय दिनांक:– 13.8.2022

1 समझदार सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 अमृतपाल सिह पुत्र समझदार सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 अभिजोत सिह पुत्र समझदार सिह आयु 16 वर्ष ना.ज.कु. बली माता रपिन्द्र कौर पत्नी समझदार सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 बोहड सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 गुरकीरत सिह पुत्र बोहड सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 जसपाल कौर पुत्री सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 कमलप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 शरणप्रीत कौर पुत्री बोहड सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

6 शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैक संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh D
Date: 2022.11.23 14:09:55 IS
Reason: SelfAttested

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण

श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 5

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 5

13/8

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादीगण एवं प्रति स. 1 ता 5 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक 11 एम.जे.डी. के खाता स. 79/41 खाता बोहड सिह वगैरा ज.स. 2072–75 तथा इसी चक के खात स. 81/78 खाता बोहड सिह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 80/88 खाता बोहड सिह वगैरा तथा चक 12 एम.जे.डी. के खाता स. 45/31 खाता प्रताप वगैरा ज.स. 2070–73 तथा इसी चक के खाता स. 90/67 खाता सुखदेव सिह तथा इसी चक के खाता स. 71/55 खाता राजपाल सिह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 76/51 खाता रामी देवी वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 91/73 खाता सावित्री वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 86/31 खाता समझदार सिह वगैरा में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी स. 1 तथा वादी स. 4 तथा प्रति स. 2 ता 4 की जद्दी जायदाद है तथा उक्त आराजी में वादी स. 1 व 4 का तथा प्रति स. 2 ता 4 का उनके पिता प्रति स. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब.का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति स. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स.1 व 4 के पक्ष में कर दिया है। इसलिए प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी के वादी स. 1 तथा वादी स. 4 ब.हि.ब. के विरास्तन हकदार है। इसी प्रकार वादी स. 1 के नाम दर्ज आराजी तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी उनके वारिसान वादी स. 2 व 3 की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी स. 2 व 3 का अपने पिता वादी स. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। इसलिए वादी स. 1 के नाम दर्ज आराजी के तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादी स. 1 ता 3 ब.हि.ब. के हकदार है। इसी प्रकार वादी स. 4 के नाम दर्ज आराजी तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी उनके वारिसान वादी स. 5 व प्रति स. 5 की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी स. 5 व प्रति स. 5 का अपने पिता वादी स. 4 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति स. 5 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स. 4 व 5 के पक्ष मे कर दिया है। इसलिए वादी स. 4 के नाम दर्ज आराजी के तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादी स. 4 व 5 ब.हि.ब. के हकदार है। अतः प्रतिस. 1 के नाम दर्ज आराजी मे से निस्फ हिस्सा के वादी स. 1 ता 3 तथा निस्फ हिस्सा के वादी स. 4 व 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। तथा वादी स. 1 [illegible] दर्ज आराजी के वादी स. 1 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। वादी स. 4 के नाम दर्ज आराजी के वादी स. 4 व 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी मे प्रति स. 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण ने आपस में काश्त की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी मंदी अनुसार दावा की दफा 5 के अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है।वादीगण दावा की दफा 5 के अनुसार मौका पर काबिज है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 4 व 5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh De
Date: 2022.11.23 14:09:55 IST
Reason: SelfAttested

1318
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अनुसार दर्ज नही होने के कारण तथा सांझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप हमे दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।अतः वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे तथा चक 11 एम.जे.डी. खाता स. 79/41 खाता बोहड सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 1.190 है0 आराजी तथा इसी चक के खाता स. 80/88 खाता बोहड सिह वगैरा में दर्ज कुल 5.492 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खातो मे से वादी स. 4 बोहड सिह पुत्र सुखदेव सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 81/78 खाता बोहड सिह वगैरा में दर्ज कुल 2.530 है0 आराजी वादी स. 2 व 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जाकर उक्त खाता मे से वादी स. 1 व 3 तथा प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 12 एम.जे.डी. के खाता स. 90/67 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में दर्ज कुल 1.771 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 86/31 खाता समझदार सिह वगैरा में दर्ज कुल 2.024 है0 आराजी मे से 0.126 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम तथा 1.898 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी चक के खात स. 45/31 खाता प्रताप वगैरा में वादी स. 1 व 4 के नाम दर्ज कुल 0.289 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम सांझा खाता में दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स.1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 71/55 खाता राजपाल सिह वगैरा में प्रति स. 1 के नाम सांझा खाता मं दर्ज 2.808 है0 आराजी मे से 2.555 है0 तथा इसी चक के खाता स. 76/51 खाता रामी देवी वगैरा में प्रति स. 1 के नाम सांझा खाता में दर्ज 0.126 है0 आराजी वादी स. 5 के नाम दर्ज की जाकर उक्त सांझा खातो में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन कियां जावे तथा इसी चक के खाता स. 91/73 खाता सावित्री वगैरा में सांझा खाता में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 1.251 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रति स. 1 ता 5 की ओर से जरिये अधिवक्त सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।प्रतिस. 7 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है।प्रति स. 6 की तलबी जरिये रजि0 ए.डी. होने पर उनके हाजिर अदालत नही आनें पर उनके विरूध एकतरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 समझदार सिह का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Date: 2022.11.23 14
Reason: SelfAttested

138
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी मुताबिक बंटवारा वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति जमाबन्दी चक 11 एम.जे.डी. के खाता स. 79/41 खाता बोहड सिह वगैरा ज.स. 2072–75 तथा इसी चक के खात स. 81/78 खाता बोहड सिह वगैरा तथा इसी चक के खाता स 80/88 खाता बोहड सिह वगैरा तथा चक 12 एम.जे.डी. के खाता स. 45/31 खाता प्रताप वगैरा ज.स. 2070–73 तथा इसी चक के खाता स. 90/67 खाता सुखदेव सिह तथा इसी चक के खाता स. 71/55 खाता राजपाल सिह वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 76/51 खाता रामी देवी वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 91/73 खाता सावित्री वगैरा तथा इसी चक के खाता स. 86/31 खाता समझदार सिह वगैरा पेश है। जो कि प्रदर्श 1 ता 9 है।वादीगण के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे तथा चक 11 एम.जे.डी. खाता स.79/41 खाता बोहड सिह वगैरा ज.स. 2072–75 मे दर्ज कुल 1.190 है0 आराजी तथा इसी चक के खाता स. 80/88 खाता बोहड सिह वगैरा में दर्ज कुल 5.492 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खातो मे से वादी स. 4 बोहड सिह पुत्र सुखदेव सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 81/78 खाता बोहड सिह वगैरा में दर्ज कुल 2.530 है0 आराजी वादी स. 2 व 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जाकर उक्त खाता मे से वादी स. 1 व 3 तथा प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 12 एम.जे.डी. के खाता स. 90/67 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में दर्ज कुल 1.771 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 86/31 खाता समझदार सिह वगैरा में दर्ज कुल 2.0[illegible]0 आराजी मे से 0.126 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम तथा 1.898 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 1 का हिस्सा [illegible] किया जावे तथा इसी चक के खात स. 45/31 खाता प्रताप वगैरा में वादी स. 1 व 4 के नाम दर्ज कुल 0.289 है0 आराजी वादी स.4 के नाम सांझा खाता मे दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स.1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 71/55 खाता राजपाल सिह वगैरा में प्रति स. 1 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh
Date: 2022.11.23 14:09:55
Reason: SelfAttested

13/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

साझा खाता म दर्ज 2.808 है0 आराजी मे से 2.555 है0 तथा इसी चक के खाता स. 76/51 खाता रामी देवी वगैरा में प्रति स. 1 के नाम सांझा खाता में दर्ज 0.126 है0 आराजी वादी स. 5 के नाम दर्ज की जाकर उक्त सांझा खातो में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 91/73 खाता सावित्री वगैरा में सांझा खाता में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 1.251 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे।

निज....X.......... मुब्लिक.....X......... बाबत....100.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक....13.8.2022.......... को जारी की गई।

नोट:— यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

13/8/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verif
Digitally signed by Rame
Date: 2022.11.23 14:09:
Reason: SelfAttested

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

अज अदालत – रमेश देव (आर.ए.एस.)

1 समझदार सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 अमृतपाल सिह पुत्र समझदार सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 अभिजोत सिह पुत्र समझदार सिह आयु 16 वर्ष ना.ज.कु. बली माता रपिन्द्र कौर पत्नी समझदार सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 बोहड सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 गुरकीरत सिह पुत्र बोहड सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 जसपाल कौर पुत्री सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 कमलप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 शरणप्रीत कौर पुत्री बोहड सिह जाति जटसिख सा. चक 12 एम.जे.डी. ढाणी पिलानीयां वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

6 शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैक संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

7 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

मु. स. 91 / 2022 दावा अन्तर्गत धारा 88 / 53 अ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh De
Date: 2022.11.23 14:09:55 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई ... सिह सिद्धू एड. वादी व श्री गुरमीत सिह कल... होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अ...र अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे तथा चक 11 एम.जे.डी. खाता

1318

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

खाता स.79/41 खाता बोहड सिह वगैरा ज.स. 2072–75 में दर्ज कुल 1.190 है0 आराजी तथा इसी चक के खाता स. 80/88 खाता बोहड सिह वगैरा में दर्ज कुल 5.492 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खातो मे से वादी स. 4 बोहड सिह पुत्र सुखदेव सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 81/78 खाता बोहड सिह वगैरा में दर्ज कुल 2.530 है0 आराजी वादी स. 2 व 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जाकर उक्त खाता मे से वादी स. 1 व 3 तथा प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 12 एम.जे.डी. के खाता स. 90/67 खाता सुखदेव सिह ज.स. 2070–73 में दर्ज कुल 1.771 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 86/31 खाता समझदार सिह वगैरा में दर्ज कुल 2.024 है0 आराजी मे से 0.126 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम तथा 1.898 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी चक के खात स. 45/31 खाता प्रताप वगैरा में वादी स. 1 व 4 के नाम दर्ज कुल 0.289 है0 आराजी वादी स. 4 के नाम सांझा खाता में दर्ज की जाकर उक्त खाता में से वादी स.1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 71/55 खाता राजपाल सिह वगैरा में प्रति स. 1 के नाम सांझा खाता मं दर्ज 2.808 है0 आराजी मे से 2.555 है0 तथा इसी चक के खाता स. 76/51 खाता रामी देवी वगैरा में प्रति स. 1 के नाम सांझा खाता में दर्ज 0.126 है0 आराजी वादी स. 5 के नाम दर्ज की जाकर उक्त सांझा खातो में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता स. 91/73 खाता सावित्री वगैरा में सांझा खाता में प्रति स. 1 के नाम दर्ज 1.251 है0 आराजी वादी स. 1 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति स. 1 सुखदेव सिह पुत्र नन्द सिह का नाम कलमजन किया जावे।दावा की दफा 5 निम्न प्रकार से है:–

ए. वादी स. 1 समझदार सिह पुत्र सुखदेव सिह का हिस्सा:–

चक 12 एम.जे.डी. खाता स. 86/31

131/178 11 21/.127 25/.126 = 0.253 है0

चक 11 एम.जे.डी. खाता स. 80/88

138/184 54 6/.228 7–8–13–14/.253प्र. 15–16/.228प्र. 17–18–19–22–23–24/.253प्र. 25/.228

138/185 59 2–3–4/.253प्र. 5–6/.228प्र. 7–8–9/.253प्र. गै.मु./.076 कुल = 5.492 है0

चक 11 एम.जे.डी. खाता स. 79/41

138/184 54 9/.253 10–11/.228प्र. 12/.253 20/.228 = 1.190 है0

बी. चक 12 एम.जे.डी. खाता स. 91/73 में सांझा खाता में 1.251 है0 आराजी वादी स. 2 व 3 अमृतपाल सिह–अभिजोत सिह पि. समझदार सिह का ब.हि.ब. का हिस्सा:–

चक 11 एम.जे.डी. खाता स. 81/78

137/183 46 16–17–18–19–20–21–22–23–24–25/.253प्र. = 2.530 है0

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh D
Date: 2022.11.23 14:09:55 IS
Reason: SelfAttested

वादी स. 4 बोहड सिह पुत्र सुखदेव सिह का हिस्साः–
चक 12 एम.जे.डी. खाता स. 90/67
131/177 10 19/.253 22/1/0.2346 22/2/0.0184 गै.म. रास्ता
= 0.5060 है0
131/178 11 1/.202 2–3–4–10/.228प्र. गै.मु./.051 = 1.771 है0
चक 12 एम.जे.डी. खाता स. 86/31
131/178 11 16–17–18–19–23–24/.253प्र. 25/.127 = 1.645है0
132/178 12 20/2/.126 21/1/.127 = 0.253है0
चक 12 एम.जे.डी. खाता स. 45/31 में सांझा खाता में 0.289 है0 आराजी
वादी स. 5 गुरकीरत सिह पुत्र बोहड सिह का हिस्साः––
चक 12 एम.जे.डी. खाता स. 71/55 मे सांझा खाता में 2.808 है0 आराजी मे से 2.555 है0 तथा इसी चक के खाता स. 76/51 में सांझा खाता में 0.126 है0 आराजी

निज.......x........ मुब्लिक.......x........ बाबत....100/-.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक....13.8.2022....... को जारी की गई।
नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

13/8/22
(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh D
Date: 2022.11.23 14:09:55 IS
Reason: SelfAttested